प्रभाव डालने वाले सोडियम नाइट्रेट आदि का प्रयोग व्यवहारिक रूप से नहीं होता है ।

(घ) भूमि की प्रतिक्रिया को सुधारने के लिये कन्डीशनरों के प्रयोग के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1966-67 से 1968-69 तक चलती रही जिसके अन्तर्गत सहायता प्राप्त आधार पर किसानों को भूमि कन्डीशनर सप्लाई किये गए थे । इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा, जल लग्नता और नमक इकट्ठा होने आदि के कारण अम्लता या क्षारयुक्ता गुण को सुधारना था । इसकी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्विति नहीं हो रही है । इसके बजाय राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपने राज्य प्लान स्कीमों के अन्तर्गत भूमि प्रतिक्रिया को सुधारने हेतु किसानों को भूमि कन्डीशनर बेचने के लिये आर्थिक सहायता दें ।

ट्रैक्टर केन्द्रों का खोला जाना

681. **श्री निहाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने खण्डों में सरकार ने ट्रैक्टर केन्द्र स्थापित किये हैं, जिससे उनको किराये पर दिया जा सके;

(ख) खेत जोतने की प्रति-एकड़ दर कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सहकारी समितियों और व्यक्तियों को इस प्रकार के ट्रैक्टर केन्द्र स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) चौथी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि मशीनरी किराया केन्द्रों की स्थापना के लिए एक योजना को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और इस योजना के अन्तर्गत, विभिन्न राज्यों में स्थापित कृषि-उद्योग निगम इन केन्द्रों की स्थापना करेंगे । पंजाब, हरियाणा, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम राज्यों में निगमों ने पहले ही पायलट केन्द्रों की स्थापना कर ली है ।

(ख) प्रत्येक राज्य की खेती की दरें प्रचालन की किस्म और मौसम के अनुसार घटती-बढ़ती हैं ।

(ग) जी हां, इस योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों और अन्य कृषि मशीनरी के लिए सर्विस/मरम्मत केन्द्रों की स्थापना करने और चुनिंदा सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि मशीनरी में सीमा-शुल्क सर्विस प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अभी तक सात चुनी हुई सहकारी संस्थाओं को (पांच मैसूर में और एक आन्ध्र प्रदेश तथा एक मध्य प्रदेश में) वित्तीय सहायता प्रदान की है । इनके अतिरिक्त, कृषि-उद्योग निगमों और व्यावसायिक बैंकों से किराया खरीद के आधार पर/ऋणों की स्वीकृति के रूप में मशीनरी सप्लाई करके किराया केन्द्रों की स्थापना करने में निजी व्यक्तियों आदि को सहायता प्रदान करने की प्रार्थना की गई है ।

Requirement of Imported Foodgrains

682. SHRI DHIRESWAR KALITA;
SHRI PRAKASH VIR SHASTRI:
SHRI SHIV KUMAR SHASTRI:
SHRI HEM BARUA:
SHRI SHRI CHAND GOYAL:
SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI :
SHRI V. NARASIMHA RAO:
SHRI S. K. TAPURIAH:
SHRI SHIV CHARAN LAL:
SHRI RAM AVTAR SHARMA:
SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:
SHRI V. VISWANATHA MENON:
SHRI A. K, GOPALAN:
SHRI GANESH GHOSH:
SHRI K. M. ABRAHAM:
SHRIMATI ILA PAL-CHOUDHRI:
SHRI DEVEN SEN:
SHRI JUGAL MONDAL;
SHRI R. BARUA:
SHRI BHOGENDRA JHA:
SHRI VALMIKI CHOUDHARY:

SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH:
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI N. R. LASKAR;
SHRI R. K. BIRLA:
SHRI RAMACHANDRA VEERAPPA:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the estimated total requirements for imported foodgrains in the current year and the approximate value of such requirements;

(b) whether any agreement has been signed with foreign countries for the import of the required quantity of foodgrains; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The present assessment of the requirements of imported foodgrains in the current year is about 5.2 million tonnes. The C. and F. value of the foodgrains is Rs. 309.5 crores approximately.

(b) and (c). Imports continued after 31st December, 1968 under the following arrangements :

(i) Wheat aid from Canada.

(ii) Wheat aid from U. K,

(iii) PL. 480 agreement of 23-12-68 for 2.3 million tons of wheat for which payment will be made partly in rupees and partly under convertible local currency credit terms.

Agreements signed in 1969 so far, for import of foodgrains during 1969 are as follows :—

(i) Food Aid for 20,300 tonnes from Denmark under I. G. A., 1967.

(ii) Food Aid from West Germany for 64000 tonnes under I. G. A., 1967.

(iii) Food Aid from E. E. C. for 80000 tonnes under I. G. A., 1967.

(iv) PL. 480 Agreement of 25-4-1969 for 3 lakh tons of milo and one lakh tons of rice.

(v) Agreement dated 5-2-1969 with Burma for about 203 thousand metric tons of rice for which payment would be made in foreign exchange.

(vi) Agreement dated 18th February, 1969 with U. A. R. for 60 thousand metric tons of rice for which payment will be made in rupees to be utilised for imports from India.

(vii) Agreement dated 2-5-69 with Thailand for 75 thousand metric tons of rice for which payment would be made in foreign exchange.

No other arrangement have yet been finalised for imports to be made in 1969.

Drought in States

683. SHRI ESWARA REDDY:
SHRI D. N. PATODIA;

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the question of setting up a permanent central machinery to deal with the problems of chronic famine and drought affected areas in the country has been examined by Government; and

(b) if so, what decision has been taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) and (b). The question of the implementation of suitable programmes of lasting benefit in scareity frequented areas has been under the active consideration of the Government of India. It has been felt